

520

हुक्मनामा अज अदालत श्री उपखण्ड अधिकारी डूगॅला

क्रमांक

12

दिनांक :- 2/2/22

श्री मिट्ठुलाल पिता दल्ला जी बावरी उम्र साल, निवासी छिपाखेड़ा तहसील-
डूगॅला, जिला- चित्तौड़गढ़ राज.प्राथी

बनाम

1. श्री गोपीलाल पिता अम्बालाल जी गुर्जर, उम्र वयस्क

2. श्री मांगीलाल पिता कन्ना जी गुर्जर, उम्र वयस्क

समस्त निवासियान भाटोली गुजरान, तहसील डूगॅला, जिला चित्तौड़गढ़ राज.

.....विपक्षीगण

आदेश अन्तर्गत धारा 128 राज. भु.राजस्व अधिनियम

वास्ते :-

हस्ताक्षर डूगॅला

जो कि प्राथी ने प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया कि प्राथी की खातेदारी की खतोनी सं 262 मे दर्ज आराजी सं. 1457/689 रकबा 0.6270 हैक्टियर गांव भाटोली गुजरान पटवार हल्का भाटोली गुजरान तहसील-डूगॅला मे स्थित है उक्त सम्पूर्ण आराजी प्राथी के हक हिस्से मे निहित है ओर विपक्षीगण उपरोक्त आराजियात के पड़ोसी है जो सीमाओं को नही मानते है तथा विवाद करते है इसलिए प्राथी अपनी आराजी की मुक्कमिल नपती करवा सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है ।

बहस सुनी गयी पत्रावली नक्शा ट्रेस, नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया, अतः यह आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वर्णित आराजी की बिना किसी के कब्जे मे बाधा पहुँचाये मुक्कमिल तौर पर नपती सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करे, तथा नियमानुसार फिस रुपया 1000/- अक्षरे एक हप्तर प्राथी से वसुल कर राजकोष मे जमा करें व पर्चा मौका पत्थरगढ़ी दिनांक 01.04.2022 तक न्यायालय हाजा मे पेश करें।

अतः यह हुक्मनामा आज दिनांक 02/2/2022 को न्यायालय की मोहर व हस्ताक्षर के जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी

डूगॅला